

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान Central Sericultural Research & Training Institute केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ITRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of Indi



CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India बहरमपुर/Berhampore – 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.

पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India

दिनांक 25 मई, 2024 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 139वीं बैठक की कार्यवृत्त। Minutes of the 139th meeting of the Official Language Implementation Committee held on 25.05.2024.

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर [प.बं.] की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 139वीं बैठक दिनांक 25 मई, 2024 को संस्थान की निदेशक महोदया, डॉ. जूला एस. नायर की अध्यक्षता में अपराहन 3.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक - "क" में संलग्न है।

The 139th meeting of the Official Language Implementation Committee of Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore [W.B.] was held on 25.05.2024 under the chairmanship of Dr. Jula S. Nair, Director at 3.00 p.m. in the meeting room of the Institute. The list of the members present in the meeting is appended at Annexure-A.

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान उनके द्वारा सभी अधिकारियों व पदधारियों से राजभाषा नियमों के सम्यक अनुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदया की अनुमित से संस्थान के वरिष्ठ अनुवादक [हिंदी] द्वारा बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा प्रारंभ की गई जो निम्नवत है / At the outset, the Chairperson extended warm welcome to all the members present in the meeting. During the course of discussions, she made an appeal to all the officers & officials to pay a special attention upon fully compliance of the official language rules. Thereafter, item-wise agenda was taken up for discussion by the Senior Translator (Hindi) of this Institute which is as given below:

मद सं/Item No.1: संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 138वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 138th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute.

समिति को यह संसूचित किया गया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 138वीं बैठक की कार्यवृत तैयार कर सभी सदस्यों के बीच परिचालित कराए गए। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को सहर्ष आमंत्रित किया गया कि वे पिछली बैठक पर अपनी टिप्पणी व सुझाव, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत कर सकते है। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत को पुष्ट माना गया। It was apprised to the committee that copies of minutes of the 138th meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute were circulated among the members but no comments were received. The Chairperson, during the course of discussion gladly invited all the members to offer their comments / suggestions, if any, on the minutes of the last meeting. Since, no comments were received from anyone of the members, minutes was treated as confirmed.

मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.

संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ द्विभाषी में किए जाने पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ तदनुसार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, फार्म, प्रपत्र आदि भी द्विभाषी में तैयार कराकर नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों को अनिवार्य रुप से द्विभाषी में जारी करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा अनुभागीय प्रधानों व

प्रभारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने- अपने अनुभागों में राजभाषा प्रावधानों एवं केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलूर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त तत्संबंधी आदेशों व निदेशों का पूर्णरुपेण कार्यान्वयन आगे भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग में कोई भी उल्लघंन न होने पाए।

During the course of discussion upon making entries in all service books either in Hindi or in bilingual form, it was observed that necessary entries are being made in Hindi or bilingual form in the service books available at this institute. Further, full compliance of the Official Language Rule-11 has been ensured by preparing all standard forms, Proforma etc. in bilingual form. In addition to this, letters received in Hindi are also replied in Hindi only. The Chairperson, during the course of discussion made an instruction to all the Divisional Heads/In-charges of the sections of this Institute to make every possible effort for due compliance of the provisions of Official Language, Hindi following the orders/instructions received from Central office, Central Silk Board, Bangalore and Department of Official Language, Ministry of Home affairs. She also added that special attention should be paid so that there may not be any violation in progressive use of Official Language Policy.

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय अनुपालनार्थ लिए गए / During the course of discussion following decisions were taken by the committee for compliance:

1. धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज केवल द्विभाषी अर्थात् हिंदी तथा अंग्रेजी में तैयार कर जारी करें एवं संस्थान के वेबसाईट में अपलोड अनिवार्य रुप से किया जाए। / Prepare and issue the documents under Section 3 (3) only in bilingual i.e. Hindi and English and those should be uploaded on the website of the institute.

[कार्रवाईः सभी

अनुभाग/केन्द्र/कंप्यूटर अनुभाग]

2. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों के दौरे पर जा रहे वैज्ञानिकों/अधिकारियों व हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी कार्यान्वयन/अनुपालन संबंधी प्रगति की समीक्षा विहित प्रपत्र में अवश्य की जाए। / Scientists/Officers and Hindi Section, while visiting the sub-units under the institute, on tours, must review the progressive use of Official Language Hindi of the concerned unit(s) and submit the report in the prescribed format.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग व संबंधित वैज्ञानिक/अधिकारी]

- 3. तकनीकी आलेख, पुस्तिका, निवारिणका आदि हिंदी/द्विभाषी में प्रकाशित करने का हर संभव प्रयास किया जाए। Every possible effort should be made to publish all the Technical reports, Pamphlets, Brochure etc. in Hindi or in bilingual form. [कार्रवाई: सभी अनुभाग]
- 4. यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से संस्थान के हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की अनुभागवार समीक्षा की जाए। It was also decided that comparative progress report regarding correspondence of implementation of official language Hindi of this institute should be reviewed section-wise in future.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

5. राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व संबंधित विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही के दौरान किया जाए ताकि राजभाषा प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। A Hindi Workshop with regard to uses of Official Language Hindi or an allied subjects must be organized for the officials during every quarter to ensure due compliance of the provisions of Official Language.

[कार्रवाईः हिंदी अन्भाग]

6. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by the nested Units of this Institute should also be placed for the review in the ensuing meeting.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.3: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा/Review of the quarterly progress report of this institute:

संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया की सभी केन्द्रों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधीनस्थ केन्द्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य तौर पर किया जाए ताकि सभी केन्द्रों में राजभाषा प्रावधानों का पूर्णरुपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। While reviewing the quarterly report of the nested units of this institute, it was observed that due compliance of the section 3(3), Rule-11 of the Official Language Act has been ensured at all the sub-units. Further, letters received in Hindi are also being replied in Hindi only. The Chairperson, during the course of discussion made an instruction that quarterly progress report of each and every nested unit should invariably be reviewed so that full compliance of the provisions of Official Language may be ensured at all the nested units of the Institute.

[कार्रवाईः सभी अधीनस्थ केन्द्र/हिंदी अनुभाग]

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदया के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई। / Thereafter, the meeting concluded with a vote of thanks.

[डॉ. जूला एस. नायर] Dr. Jula S. Nair] निदेशक/Director

अनुलग्नक "क"/ Annexure-A

दिनांक 25 मई, 2024 को आयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 139 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची/ List of members present in the 139th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 25.05.2024.

क्र.सं SLN:	नाम/Name	पदनाम/Designation	
Sl.No. 1.	डॉ. जूला एस. नायर / Dr. Jula S. Nair	निदेशक / Director	अध्यक्ष/Chairman
2.	डॉ. जी श्रीनिवास / Dr. G Sriniwas	वैज्ञानिक- डी/ ScD	सदस्य/Member
3.	डॉ. ए. आर. प्रदीप / Dr. A. R. pradeep	वैज्ञानिक- डी/ ScD	अध्यक्ष/Chairman
4.	डॉ. शतदल चक्रवर्ती / Dr. S. Chakraborty	वैज्ञानिक- डी/ ScD	सदस्य/Member
5.	डॉ. पूजा मकवाना / Dr. Pooja Makwana	वैज्ञानिक- डी/ ScD	सदस्य/Member
6.	डॉ. के. सुरेश / Dr. K Suresh	वैज्ञानिक- सी/ ScC	सदस्य/Member
7.	डॉ. परमेश्वर नायक / Dr. P Naik	वैज्ञानिक- सी/ ScC	सदस्य/Member
8.	डॉ. मिहिर राभा / Dr. Mihir Rabha	वैज्ञानिक- सी/ ScC	सदस्य/Member
9.	श्री अरुण कुमार / Shri Arun Kumar	वैज्ञानिक- बी/ ScB	सदस्य/Member
10.	सुश्री संघमित्रा आदित्य / Miss S. Aditya	वैज्ञानिक- बी/ ScB	सदस्य/Member
11.	सुश्री रेश्मा आर. / Miss Reshma R.	वैज्ञानिक- बी/ ScB	सदस्य/Member
12.	डॉ जावेद उर रहमान / Dr. J. Ur Rehman	वैज्ञानिक- बी/ ScB	सदस्य/Member
13.	श्री रवि सैनी / Shri Ravi Saini	वैज्ञानिक- बी/ ScB	सदस्य/Member
14.	श्री तापस चक्रवर्ती / Shri T Chakraborty	अधीक्षक [प्र.] / Sup. [Admn.]	
15.	श्री चंदन कुमार साव / Shri Chandan Kumar Shaw	वरिष्ठ अनुवादक [हिंदी] / Sr. Tr. [Hindi]	संयोजक / Convenor
16.	श्रीमती एम. चट्टोपाध्याय / Smt. M. Chattopadhyay	व.त.स. / S.T.A.	सदस्य/Member